42/2022/I/152254/2022-71-2099/784/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनर्विनियोग के माध्यम से गैर वेतन मद में अनुदान स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम्ई/बजट/2021-22/1053, दिनांक 24.03.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) में रू0 2000.00 लाख की बचत के सापेक्ष (संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार) धनराशि रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड मात्र) को अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-66-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही किया जाएगा।

(2) प्र0वि0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में नहीं की जाएगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी०एम्०-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहां किया जायेगा|

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है|

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) कुलपति/कुलसचिव,के०जी०एम्०यू० लखनऊ।
(4) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
(6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2077381/2022

प्रपत्र-9(I) (संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर-158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाये)					
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2021-22		प्रपत्र-बी0एम0-9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट में) राजस्व	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी. 03-शिक्षा					
66- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-					
31-सहायता अनुदान - सामान्य वेतन-	64673.70	2000.00	1000.00	1000.00	63673.70
योग-	64673.70	2000.00	1000.00	1000.00	63673.70
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी, 03-शिक्षा					
66-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-					
20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)-	18000.00	19000.00	1000.00	1000.00	19000.00
योग-	18000.00	19000.00	1000.00	1000.00	19000.00
1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-					
वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-3355/वित्त एवं लेखा/2022 दिनांक 16.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 31-सहायता अनुदान - सामान्य वेतन में रू0 2000.00 लाख की बचत होने से अवगत कराया गया है।					
2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-					
वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ने अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 16.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन में रू0 2000.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है।					
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।					

संख्या- आर-ई-संख्या-724, दिनांक 31.03.2022

सेवा में-

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।

42/2022/I/152254/2022/

संख्या- /71-2099/784/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....
नाम व पद नाम..... (अनिल कुमार सिंह) संयुक्त सचिव
प्रशासनिक विभाग..... बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।